UPGK010021222026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–934/2026

दिलशाद अली पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मुन्ना, उम्र 23 वर्ष, निवासी- तुर्कमानपुर, थाना-राजघाट, जनपद-गोरखपुर। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 623/2025
अंतर्गत धारा-305,331(4),317(2) भा०न्या०सं०
थाना- चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त दिलशाद अली की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-934/2026 मु0अ0सं0-623/2025 अंतर्गत धारा-305,331(4),317(2) भा०न्या०सं०, थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अखिलेश कुमार श्रीवास्तव निवासी गोरखपुरम राप्ती बिहार कालोनी नियर प्रधानमंत्री आवास योजना मानबेला गोरखपुर मैं 30.09.2025 को लगभग 03.40 पी०एम० को अपने घर मत्र के लिए रवाना हो गया था और जब मैं 02.10.2025 को वापस लौटकर आया लगभग 1.40 मिनट पर तो देखा कि अन्दर का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। आलमारी का लाकर बुरी तरह से तोड़ा हुआ है और हमारी पत्नी का सारा जेवर और कैश सब गायब है। अगल-बगल के फुटेज देखने से पता चला कि मेरे घर में दिनांक 01.01.2025 को समय 3.00 ए०एम० से लेकर लगभग 4.00 ए०एम० के मध्य अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर चोरी किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। सहअभियुक्त के कथन के आधार पर फर्जी तौर से अभियुक्त बनाया गया है इस तौर से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता नहीं पाया जाती है। प्राथमिकी रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तथाकथित घटना दिनांक 30.09.2025 के 3 दिन बाद जिसकी रिपोर्ट दिनांक 03.10.2025 को विलम्ब से अंकित करायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को घर से बुलवाकर विधि विरूद्ध तरीके से फर्जी गिरफ्तारी दर्शायी गयी है, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई माल, मसरूका बरामद नहीं है, आवेदक के पास से बरामद रूपया 1710 आवेदक का है, जो रिहा होने के बाद प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 305,331(4), 317(2) बी०एन०एस० का कोई अपराध नहीं बनता है। सहअभियुक्त की जमानत मा० न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ वादी मुकदमा के घर में जेवर व नकदी चोरी किया। आवेदक/अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा के घर से जेवर व नकदी चोरी करने का अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं किया गया है और न ही बरामदशुदा सामान की कोई शिनाख्त करायी गयी है। प्रस्तुत मामले में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दिलशाद अली की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-934/2026 मु0अ0सं0-623/2025 अंतर्गत धारा- 305, 331(4), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर को मु0 20,000/- (बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक :11.03.2026 **(राज कुमार सिंह)**

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:40:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court